

पत्रांक : टी.टी.प्री. ५८५ / 2018
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रेषक

निदेशक (औद्योगिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

पटना-17

सेवा में

मुख्य कार्यपालक प्रतिष्ठान

हॉटेल गोपाल डीलक्स धर्मशाला

पुरानी जी.टी. रोड, सासाराम रोहतास।

पटना, दिनांक 06/04/2018

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाराय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर उड़ीसा के पत्रांक 53107, दिनांक 02.05.2017 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के आलोक में विनिर्दिष्ट निर्माकाल प्राप्ति के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी :-

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन, 2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-2.2 (ac) में निहित प्रावधानों, यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
3. महाविद्यालय को नामांकन एवं-पाठक्रम के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामलों में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका-2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदंडों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित करने का निर्णय लेने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संचालित करेगी।
8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।

- संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर संवद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुमति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से की जाएगी।
10. प्रतिवर्ष नानांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जायेगा कि नामयुक्त बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नानांक के अनुरूप है। इसके सत्यापन निर्णय करनेवाले सुनिश्चित संस्थान से करी लिया गया है।
11. प्रमाण-पत्र समिति का निर्माण संस्थान के सदस्यों की संघी समिति को संपलब्ध कराया जाएगा।
12. संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि अथवा प्राचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी संवद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
14. संस्थान को अपने रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, संवद्धन प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जायेगा संवद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
15. यदि किसी संस्थान की पूर्ण/अंशतः संचालित डी.एड. कोर्स की मान्यता संवद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एड. कोर्स की संवद्धता स्वतः समाप्त हो-जायेगी।
17. संस्थान द्वारा नानांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाते का आधार नम्बर से संवद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2018-20 से 02 यूनिट (100 प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु संवद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

3/11/18 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक :
प्रतिलिपि :

टी.टी.प्रे. 485 / 2018

पटना, दिनांक 06/04/2018

क्षेत्रीय निदेशक-ERC-MCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापत्सी, भुवनेश्वर उड़ीसा / निदेशक
 नाय्यनिक शिक्षा, बिहार, पटना / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष
 के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनाय
 प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

3/11/18 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक :
प्रतिलिपि :

टी.टी.प्रे. 485 / 2018

पटना, दिनांक 06/04/2018

जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास को सूचनाय प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

3/11/18 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

पत्रांक- सम्बद्धता कोषांग (TTC)/259/15- 68/2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक 13/02/2019

संस्थान के अनुरोध पर निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक- टी0टी0प्रे0 485/18 दिनांक 06.04.2018 द्वारा डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु निर्गत सम्बद्धता में वर्णित प्रशिक्षण संस्थान के नाम एवं पता को NCTE द्वारा निर्गत मान्यता पत्र के आधार पर निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:-

क्रम सं०	अशुद्ध (पूर्व निर्गत सम्बद्धता पत्र में संस्थान का नाम एवं पता)	शुद्ध (संस्थान का नाम एवं पता)
1	देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी0टी0 रोड, सासाराम, जिला-रोहतास।	शकुन्तलम् इंस्टीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, किरहिन्डी, शिवसागर, सासाराम, जिला-रोहतास-821115। (Shakuntalam Institute of Teachers Education, Kirhindih, Sheoshagar, Sasaram, Dist. - Rohtas- 821115)

सम्बद्धता पत्र में वर्णित शेष यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन,

(शेखर चन्द्र वर्मा)
निदेशक (शैक्षणिक),

पत्रांक: सम्बद्धता कोषांग (TTC)/259/15- 68/2019, दिनांक 13/02/2019
प्रतिलिपि:- सचिव, शकुन्तलम् इंस्टीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, किरहिन्डी, शिवसागर, सासाराम,
जिला-रोहतास-821115 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक),

पत्रांक: सम्बद्धता कोषांग (TTC)/259/15- 68/2019, दिनांक 13/02/2019
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय निदेशक, ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, मुबनेश्वर,
उडीसा- 751012/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक
(विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।